सीसीआई में बालकों की संपन्नता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश

- इस बात को अच्छी तरह से समझें कि बालकों के लिए कोविड-19 जैसी महामारी के हालात में तनाव, बेचैनी, दुख व चिंता का अनुभव करना नैसर्गिक बात है.
- बालकों को बार-बार आश्वस्त करें कि वह सुरक्षित हैं.
- बालकों को एक दूसरे से जुड़ने व भरोसेमंद शख्स के साथ अपनी चिंताओं व भावनाओं को लेकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें.
- बालक कोविड-19 संबंधित समाचार का ज्यादा ग्रहण न करें व बालकों का ध्यान अन्य विषयों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करें.
- न्यूनतम विघटन के साथ गृह की सामान्य दिनचर्या को जारी रखें.
- बालकों के साथ वक्त बिताएं, विशेषकर उन गतिविधियों में जिनमें उनको आनंद आता है.
- कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चिंता व तनाव के संदर्भ में लैंगिक व लिंग आधारित हिंसा समेत हिंसा और अधिक गंभीर हो सकती है. बालकों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड या हिंसा का इस्तेमाल न करें.
- बालकों को अपने साथियों की मदद कैसे करनी है व बहिष्करण और डराने-धमकाने से बचाव कैसे करना है इसके लिए मार्गदर्शित करें.
- तनाव के लक्षण वाले बालकों व सीसीआई कर्मियों की पहचान कर उनकी मदद करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/समुपदेशकों के साथ कार्य करें.
- यह सुनिश्चित करें कि खांसने, छींकने आदि के कारण किसी बालक या कर्मचारी के साथ भेदभाव भरे व्यवहार या उनके प्रति भेदभाव पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है.
- बालकों को उनके शरीर की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करें व उनका समर्थन करें.
- सीसीआई में महत्वपूर्ण सेवाएं जारी रखने के लिए सामाजिक सेवा व्यवस्था के साथ कार्य करें.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित सीसीआई के लिए प्रतिक्रियाशील/प्रभावनीय मानक

चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट (सीसीआई) में बालकों व कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए सीसीआई के प्रभारी व्यक्ति को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

कोविड-19 के फैलाव के प्रति खुद जागरूक होना व दूसरों को जागरूक करना

सकारात्मक स्वच्छता व्यवहार का पालन करना, उसका प्रचार करना व इसके उपयोग बताने को लेकर आवश्यक कदम उठाना व उनके उद्ग्रहण का निरीक्षण करना

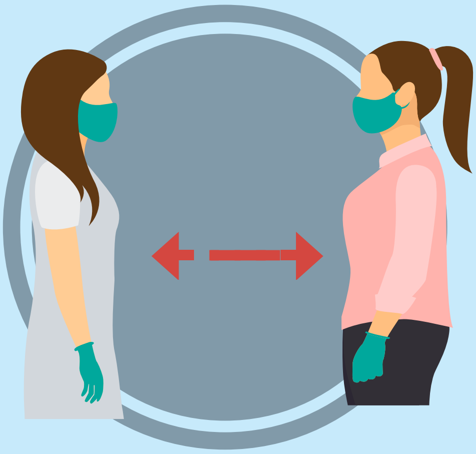

सामाजिक दूरी का पालन करना

सख्ती से सफाई करना व कीटाणुरहित करते रहना

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित सीसीआई के लिए प्रतिक्रियाशील/प्रभावनीय मानक

अगर सीसीआई में किसी बालक या कर्मचारी में बुखार, खांसी व सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नजर आए तो प्रभारी व्यक्ति को निम्न मानक सुनिश्चित करने चाहिए

नियमित जांच का आयोजन करना

स्वास्थ्य रेफरल प्रणाली का पालन करना

संगरोधन (क्वारंटाइन) करना

आपातकालीन स्थितियों को लेकर पहले से ही योजना तैयार करना

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीसीआई को दिए निर्देश में जारी हेल्पलाइन नम्बर

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर नए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर जारी किए है. कोरोना वायरस (कोविड-19) से संबंधित किसी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आप 1075 व 1800112545 पर कॉल कर सकते हैं.
- इसके साथ ही चाइल्डलाइन नम्बर 1098 का संचालन भी जारी रहेगा.
- अगर किसी कर्मचारी या बालक में कोरोना से संबंधित लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप ऊपर दिए गए नम्बर पर कॉल कर सकते हैं या स्थानीय डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं.